



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:5507

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट ए संख्या 8208 सन् 2024

ए.एफ.आर.

अभिषेक जायसवाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

पी.एन.बी. प्रधान कार्यालय, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अज़मी यूसुफ, आलोक कुमार पाण्डेय, शशांक सिंह, विनोद कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ब्रजेन्द्र अमीय, गौरभ कुमार, विश्वास सारस्वत

न्यायालय संख्या - 18

माननीय श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा श्री आलोक कुमार पाण्डेय, याची के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री विश्वास सारस्वत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत याचिका विपक्षी संख्या 2 अर्थात् मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल कार्यालय, सीतापुर द्वारा दिनांक 19.09.2023 को पारित उस आदेश को इस आधार पर चुनौती देते हुए दाखिल की गई है कि बिना कोई कारण बताए, याची की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची के पिता, स्वर्गीय केशव राम जायसवाल, जिन्होंने वर्ष 1982 में सेवा में प्रवेश किया था, दुर्भाग्यवश वर्ष 2016 अर्थात् दिनांक 04.08.2016 को दिवंगत हो गए, जिसके पीछे विधिक उत्तराधिकारी, जिनमें पुत्र होने के नाते वर्तमान याची भी सम्मिलित है, रह गए।
4. उन्होंने प्रस्तुत किया कि पिता की मृत्यु के पश्चात्, माता ने दिनांक 04.08.2018 को यह उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया कि उनका पुत्र इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, तथा उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि उनके पुत्र को उसकी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् नियुक्त किया जाए।
5. उन्होंने आगे कहा कि आवेदन की शब्दावली उचित न रही हो, किन्तु एक बात स्पष्ट है कि दिवंगत कर्मचारी के पुत्र, जो विधिक उत्तराधिकारी है, ने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इसलिए उस समय बैंक में प्रचलित नियमों के अंतर्गत उचित नियुक्ति के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए था।
6. आगे यह प्रस्तुतीकरण है कि आक्षेपित आदेश अनुकम्पा के आधार पर याची की नियुक्ति के दावे को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताता। उन्होंने प्रत्यर्थी बैंक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.11.2025 को दाखिल पूरक शपथपत्र के पैराग्राफ 4 एवं 5 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि शपथपत्र में यह उल्लेख किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि बोर्ड के सदस्यों के मध्य विचार-विमर्श एवं चर्चा मौखिक प्रकृति की है और उसी मौखिक चर्चा के आधार पर याची को पात्र नहीं पाया गया और इसलिए उसकी नियुक्ति अस्वीकार कर दी गई।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अनुकम्पा नियुक्ति के नियम ऐसे विधिक उत्तराधिकारियों पर करुणा के आधार पर विचार करने के लिए बनाए गए हैं और किसी भी विधि-निर्माण अभिकरण का यह आशय नहीं है कि उस व्यक्ति को वंचित किया जाए जिसका देखभालकर्ता एवं माता-पिता सेवा में रहते हुए दिवंगत हो गए हों। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पति की मृत्यु के पश्चात् परिवार, विशेषतः पत्नी की मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है और इसलिए यदि आवेदन किसी लक्षित अनुरोध के साथ दाखिल नहीं किया गया हो, तो उसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि प्राधिकारियों पर यह दायित्व है कि वे उन प्रचलित नियमों एवं विधियों के मूल उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करें जिनके लिए वे बनाए गए हैं।
8. उन्होंने आगे कहा कि आवेदन प्रारम्भ में वर्ष 2018 में अर्थात् प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था। स्थिति को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 04.08.2018 को आवेदन संस्थित किए जाने के पश्चात्, याची को दिनांक 27.08.2018 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जो रिट याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न है और उसके अनुपालन में दिनांक 04.08.2018 को सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गईं। किन्तु इस बीच कार्यालय स्थानांतरित हो गया और इसलिए बैंक अधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया कि एक नया आवेदन दिया जाए, तत्पश्चात् दिनांक 27.01.2021 को नया आवेदन दिया गया। इसका यह अर्थ नहीं है कि आवेदन प्रारम्भ में वर्ष 2021 में दिया गया था, बल्कि यह वर्ष 2018 में दिया गया था और दिनांक 27.01.2021 को दिया गया आवेदन भी नियमावली में निर्धारित पाँच वर्ष की सीमावधि के भीतर है। उन्होंने आगे कहा कि इन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सभी कारणों पर न तो विचार किया गया और न ही उन पर चर्चा की गई, जो याची के दावे की अस्वीकृति के पत्र से स्पष्ट है।

9. अपना तर्क समाप्त करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश अपने आप में टिकाऊ नहीं है और इसलिए वह अपास्त किए जाने योग्य है।
10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी बैंक की ओर से उपस्थित श्री सारस्वत ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वास्तव में, वर्ष 2018 के पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उससे यह स्वयं स्पष्ट है कि नियुक्ति भविष्य में अर्थात् याची की स्नातक की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् माँगी गई थी, और इसलिए याची द्वारा वर्ष 2021 में तत्पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूँकि पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आवेदन किया गया था और इसलिए नियमों के अंतर्गत उस पर विचार नहीं किया जा सकता था, और बोर्ड की बैठक में उचित विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया और दिनांक 19.09.2023 का आदेश पारित किया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याची, उसकी माता अथवा परिवार के समक्ष कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी, और इसलिए याची अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमावली, 1975 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नियुक्ति का हकदार नहीं है। अतः, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।
11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने तथा अभिलेखों के परिशीलन पर, यह परिलक्षित होता है कि याची के पिता प्रत्यर्थी बैंक में कार्यरत थे और उनका दिनांक 04.08.2016 को सेवा में रहते हुए निधन हो गया। तत्पश्चात्, दिवंगत की पत्नी ने दिनांक 04.08.2018 को नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसके पश्चात् बैंक द्वारा दिनांक 27.08.2018 को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक पत्र भेजा गया। उसके अनुपालन में औपचारिकताएं पूरी की गई किन्तु याची के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के अनुसार, इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बीच कार्यालय स्थानांतरित हो गया और एक नया आवेदन माँगा गया जो वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया।

12. जब यह न्यायालय दिनांक 19.09.2023 के आदेश की तथ्यों एवं विधि में परीक्षा करता है, तो यह स्पष्ट है कि दो बातें निर्विवाद हैं, प्रथमतः यह कि प्रस्तुत याची दिवंगत कर्मचारी का विधिक उत्तराधिकारी है, जो प्रत्यर्थी बैंक में नियमित रूप से कार्यरत था, और द्वितीयतः यह कि दिनांक 04.08.2018 का पत्र बैंक के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। जो आक्षेपित है वह यह है कि दिनांक 04.08.2018 के पत्र में याची की माता ने यह अनुरोध किया था कि याची ने इंटरमीडिएट शिक्षा पूर्ण कर ली है और उसे उसका स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् नियुक्ति दी जाए।

13. इस न्यायालय ने यह नोट किया है कि उपरोक्त पत्र दिए जाने के पश्चात्, बैंक ने दिनांक 27.08.2018 को याची की माता को एक पत्र लिखा, जिसमें उसे नियुक्ति के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया और निर्देशों के अनुसार वही पूरी की गई।

14. वास्तव में, याची ने अपनी माता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय इंटरमीडिएट शिक्षा पूर्ण कर ली थी और यह बैंक का प्रकरण नहीं है कि याची के पास ऐसी योग्यता नहीं थी जिसके लिए बैंक में कोई पद उपलब्ध नहीं था, और सम्भवतः इन्हीं कारणों से बैंक ने, याची की माता के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, दिनांक 27.08.2018 को नियुक्ति के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पत्र लिखा। यह भी निर्विवाद तथ्य है कि दिनांक 27.08.2018 के पत्र के अनुसरण में याची द्वारा औपचारिकताएं पूरी की गई थीं।

15. इस न्यायालय को यह समझ नहीं आया कि दिनांक 27.08.2018 को पत्र जारी करते समय, यदि बैंक ने पत्र पर उसी अर्थ में विचार किया जिस अर्थ में वह लिखा गया था, तो किस बात ने याची की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ने से रोका। इस न्यायालय ने



प्रत्यर्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथपत्र भी नोट किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी बैंक के बोर्ड के सदस्यों ने मौखिक विचार-विमर्श के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि याची नियुक्ति का हकदार नहीं है, और एक पंक्ति में अस्वीकृति आदेश पारित किया गया, जो पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि दिनांक 19.09.2023 के आक्षेपित आदेश को पारित करने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, अतः आक्षेपित आदेश अपने आप में टिकाऊ नहीं है।

16. मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य, (1978) 1 एस.सी.सी. 405

के प्रकरण में प्रतिपादित विधि भी प्रस्तुत विवाद के क्षेत्र को आवृत करती है।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त, नियमावली, 1974 के प्रख्यापन का उद्देश्य दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को आर्थिक संकट से तत्काल सहायता करने के अंतर्निहित उद्देश्य से है और इसलिए नियुक्ति के ऐसे दावे पर नियमों के दायरे एवं उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में, नियम अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। "अनुकम्पा" शब्द के दूरगामी परिणाम हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी के अनुसार, अनुकम्पा का अर्थ है "पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति की प्रबल भावना और उनकी सहायता करने की इच्छा।" आगे चैम्बर्स 20वीं शताब्दी डिक्शनरी के अनुसार, अनुकम्पा का अर्थ है "दूसरों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति अथवा दुःख।" "अनुकम्पा" को शून्य में नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सहानुभूति, दयालुता और मानवीय भावनाओं के साथ कोमल अनुभूति को आकर्षित करती है और उसका अर्थ है। वास्तव में, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की अत्यंत समृद्ध प्रथाएं एवं परम्पराएं हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51-ए(ग) में निहित हैं और इसलिए प्राधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार करते समय नियमावली, 1974 के उद्देश्य एवं लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक पीड़ित की भावना को अनुभव न किया जाए, उसे समझा नहीं जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18.उपरोक्त प्रस्तुतीकरण एवं विवेचना के दृष्टिगत, विपक्षी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक

19.09.2023 का आदेश अटिकाऊ है, इसलिए एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

19.अतः प्रकरण को विपक्षी संख्या 2 अर्थात् मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, एच.आर.डी.

अनुभाग, सर्किल कार्यालय, सीतापुर को यह निर्देश देते हुए प्रत्यावर्तित किया जाता है कि

वे उपरोक्त की गई टिप्पणियों के प्रकाश में, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु याची

के दावे पर विचार करते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए

जाने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रकरण पर नए सिरे से विचार कर

निर्णय लें।

20.उपरोक्त के साथ, रिट याचिका एतद्वारा स्वीकृत की जाती है।

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

राज